तुरन्त / महत्वपूर्ण

शासनादेश सं0–6296 / 38–3–887–89

प्रेषक,

डा0 वी0के0सक्सेना,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मंडलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग 3 लखनऊः दिनांक 2 जनवरी, 1991

विषय :– ''अम्बेदकर ग्राम विकास योजना'' का कार्यान्वयन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 भीमराव अम्बेदकर शताब्दी वर्ष में हरिजन बाहुल्य ग्रामों के सघन विकास के लिए चुने हुए ग्रामों में चालू वित्तीय वर्ष 1990–91 से एक नई योजना ''अम्बेदकर ग्राम विकास योजना'' प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 1990–91 में यह योजना प्रत्येक जनपद के पांच ग्रामों में लागू की जायेगी। रेडियोग्राम संख्या– 122 सी0एम0 / 38–3–887–89 दिनांक 27 दिसंबर, 1990 द्वारा आपसे योजना के लिए प्रत्येक जनपद में ऐसे पांच ग्रामों का चयन 31 दिसंबर, 1990 तक करने के लिए कहा गया था जिनकी आबादी में अनुसूचित जाति / जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक हो। यह भी अपेक्षा की गई थी कि चयनित ग्रामों में अविलंब एक बोर्ड लगवाया जाए जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि ''संबंधित गांव अम्बेदकर शताब्दी वर्ष में घोषित अम्बेदकर ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चयनित गांव किया गया है। आशा है कि यह कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लिया गया होगा तथा यदि चयनित ग्रामों की सूची मंडलायुक्त तथा शासन की अभी तक न भेजी गई हो तो उसे तत्काल भेज दिया जाए। चयनित ग्रामों का आर्थिक सर्वेक्षण 15 जनवरी, 1991 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाए।''

2– चयनित ग्रामों में जो कार्यक्रम चलाये जायेंगे वह निम्न प्रकार होंगेः–

(क) चयनित ग्रामों में समस्त पात्र एवं इच्छुक अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों को निःशुल्क बोरिंग एवं पम्पसेट की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। निःशुल्क बोरिंग एवं पम्पसेट के अनुदान हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था वर्तमान में चल रही निःशुल्क बोरिंग के लघु सिंचाई के कार्यक्रम एवं हरिजन एवं समाज कल्याण के निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम से की जायेगी।

(ख) चयनित ग्रामों के समस्त पात्र परिवारों को एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक संसाधन एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के जनपद स्तर पर उपलब्ध 25 प्रतिशत बजट में से उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके बावजूद यदि किसी जनपद के अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता पड़ती है तो वह आयुक्त ग्राम्य विकास के माध्यम से अपनी मांग शासन को भेजेंगे। चयनित ग्रामों में आवश्यकतानुसार ट्राइसेम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण भी दिया जाए।

(ग) चयनित समस्त ग्रामों को मुख्य मार्ग से पक्की सड़क से जोड़ने की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए आवश्यक संसाधन लोक निर्माण विभाग के बजट में से

उपलब्ध कराये जायेंगे। यदि इस वित्तीय वर्ष में संसाधन की कमी इस संबंध में आती है तो उसकी व्यवस्था राज्य स्तर से किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(घ) चयनित ग्रामों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में खड़ंजे एवं नालियों के निर्माण हेतु कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पास उपलब्ध जवाहर रोजगार योजना के अंश एवं पंचायती राज विभाग की खड़ंजा निर्माण योजना की धनराशि से संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ङ) इन ग्रामों में यथा संभव इंदिरा आवास एवं निर्बल वर्ग आवास के अंतर्गत प्राथमिकता दी जायेगी। इंदिरा आवास कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन आवास सिर्फ अम्बेदकर ग्रामों को आवंटित किये जायेंगे।

(च) चयनित ग्रामों में प्रत्येक 40 अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के बीच एक इंडिया मार्क–2 हैंडपम्प की स्थापना की जायेगी। इसके लिए आवश्यक संसाधन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, हरिजन बस्ती हेतु पेयचल कार्यक्रम एवं मिलियन कूप कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराये जायेंगे। यदि इस हेतु अतिरिक्त संसाधन के आवश्यकता होती है तो उसकी मांग भी आयुक्त ग्राम्य विकास के माध्यम से शासन को भेजी जाए।

(छ) चयनित ग्राम में सुनिश्चित किया जाये कि प्राइमरी पाठशाला यदि भवन रहित हो तो उसका भवन अवश्य निर्मित कराया जाए।

(ज) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

(झ) चयनित ग्रामों में टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाय एवं सुनिश्चित किया जाए कि समस्त नवजात शिशुओं का पूर्ण टीकाकरण किया जाए।

(ट) पशुपालन विभाग सुनिश्चित करें कि चयनित ग्रामों की अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के पास उपलब्ध पशुओं का प्रतिवर्ष टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण हो। साथ ही इच्छुक परिवारों के पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए।

3– उपरोक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त जनपद में चलाये जा रहे अन्य विकास कार्यक्रमसें यथा ''मिलियन वेल स्कीम'' शौचालय आदि के अंतर्गत भी उपरोक्तानुसार चयनित ग्रामों में पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु विशेष प्राथमिकता दी जाए।

4– उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए जैसा कि ऊपर कहा गया है कि बजट का प्राविधान संबंधित विभागों के सामान्य बजट के अंतर्गत किया जायेगा। बजट में उपलब्ध धनराशि के समायोजन के पश्चात यदि किसी कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी मांग पूर्ण औचित्य एवं विवरण के साथ आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग को भेजी जाए जो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे। आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा जनपदवार संकलित मांग शासन को भेजी जायेगी।

5– चयनित ग्रामों की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में, प्रस्तर 2 व 3 में उल्लिखित कार्यक्रम किस सीमा तक चलाये जाने की आवश्यकता है, उन पर सामान्य विभागीय कार्यक्रम के अंतर्गत कितना अनुमानित व्यय होगा, अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता की स्थिति में उसका विवरण आदि का उल्लेख किया जाये। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर 15 से 20 जनवरी, 1991 के मध्य प्रस्तावित प्रोजेक्ट की स्वीकृति जिला स्तर की सीमा से दे दी जाये तथा प्रोजेक्ट से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय सूचना आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उन्हें प्रेषित की जाए।

6– प्रत्येक जनपद में अम्बेदकर ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास संबंधी समिति में समीक्षा की जाए। जिलाधिकारी इस योजना के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। जो जिला विकास अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त समिति का गठन संलग्नक के अनुसार किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को भी समिति में सम्मिलित किया जा सकता है।

7– यह कार्यक्रम 21 सूत्रीय कार्यक्रम का भी अंग होगा एवं मंडलायुक्तों की विशेष रूप से यह जिम्मेदारी होगी कि ये अपने जिले के भ्रमण के दौरान चयनित अम्बेदकर ग्राम का निरीक्षण करें।

8— शासन स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त अम्बेदकर ग्राम विकास योजना की प्रगति की विशेष रूप से समीक्षा करेंगे तथा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन , पर्यवेक्षण एवं विस्तृत अनुश्रवण का दायित्व आयुक्त ग्राम्य विकास को होगा। जिलाधिकारी योजना की प्रगति की पाक्षिक आख्या आयुक्त ग्राम्य विकास को भेजेंगे तथा मंडलायुक्त को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।

भवदीय,
ह0/—
वी0 के0 सक्सेना
मुख्य सचिव।

———————

संख्याः 6296/38—3—887—89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव , उत्तर प्रदेश।
2— सचिव, पर्वतीय विकास विभाग, हरिजन एवं समाज कल्याण, नियोजन विभाग, वित्त विभाग, पंचायती राज, नगर विकास, शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, चिकित्सा विभाग, पशुधन विभाग, कार्यक्रम कार्यान्वयन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4— समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी(विकास), जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6— निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7— निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8— महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9— निदेशक, पशु पालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10— निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11— प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण अभियंता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12— निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13— आयुक्त, ग्रामीण आवास परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14— ग्राम्य विकास अनुभाग—4/5/6/क्षेत्रीय विकास अनुभाग—2/नियोजन अनुभाग—3/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2/हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग—3/लोक निर्माण अनुभाग—1/कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुभाग/सूचना अनुभाग—1/पंचायती राज अनुभाग—3/शिक्षा अनुभाग—5/नगर विकास—3।

आज्ञा से,
ह0/—
नेत राम,
विशेष सचिव।

———————